[2022] 17 एस. सी. आर 1

केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

वी.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन

निगम

(2018 की सिविल अपील No.4928)

11 जुलाई, 2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

वित्त अधिनियम, 1994: एस 65 (31)-सेवा कर-की परिभाषा

इंजीनियर 'में' बॉडी कॉर्पोरेट 'शामिल है-यहां तक कि एस में भी। 3 (42) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या कंपनी शामिल है। व्यक्तियों का संघ या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं

-

इसलिए, "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा से "निकाय निगमित" को बाहर करने का कोई तर्क और/या कारण नहीं है।

"निगमित निकाय" द्वारा सेवा कर के दायरे से बाहर करने और/या छूट देने के लिए दी गई "परामर्श अभियंता" की सेवाओं को बाहर करना-इस तरह की व्याख्या से विसंगति और बेतुकेपन पैदा होगा-यह एक ही सेवा प्रदान करने वाले दो अलग-अलग वर्गों का निर्माण करेगा जो संसद/विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता है-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 - एस. 3 (42)।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देना और मामले को प्रेषित करना

CESTAT, न्यायालय

1. 1 को पकड़ें। 2005 के संशोधन से पहले, परिपत्र/व्यापार द्वारा

वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "परामर्श अभियंता" की परिभाषा को विशेष रूप से समझाया गया था और उक्त व्यापार सूचना के अनुसार, "परामर्श अभियंता" का अर्थ है कोई भी पेशेवर रूप से योग्य अभियंता या इंजीनियरिंग फर्म जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में किसी भी तरह से किसी ग्राहक को कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता बेचती है। इसने आगे यह भी स्पष्ट किया कि "सलाहकार इंजीनियर" में स्व-नियोजित पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर शामिल होंगे जिन्होंने उनकी सहायता के लिए दूसरों को नियुक्त किया हो या नहीं किया हो या हो सकता है कि वे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता कर सकें।

इंजीनियरिंग फर्म-चाहे वह एकल स्वामित्व के रूप में संगठित हो-साझेदारी, एक निजी या एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी। यह देखा जा सकता है

[2022] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 वित्त अधिनियम, 1994 के तहत कई स्थानों पर संसद/विधानमंडल ने "व्यक्ति" शब्द (धारा 68,69 और 70) का उपयोग किया है। इस स्तर पर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (42) को भी संदर्भित करने, विचार करने और लागू करने की आवश्यकता है। आवेदन किया। "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। इसलिए, "परामर्श इंजीनियर" की परिभाषा से "निकाय कॉर्पोरेट" को बाहर करने और सेवा कर के दायरे से बाहर करने और/या छूट देने के लिए "निकाय कॉर्पोरेट" द्वारा प्रदान की गई "परामर्श इंजीनियर" की सेवाओं को बाहर करने का कोई तर्क और/या कारण नहीं है। इस तरह की व्याख्या विसंगति और बेतुकेपन का कारण बनेगी। यह एक ही सेवा प्रदान करने वाले दो अलग-अलग वर्गों का निर्माण करेगा जो संसद/विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता था। [पैरा

11] [33 - एफ-एच] 1.3 वित्त अधिनियम, 1994 के तहत, "परामर्श अभियंता" की परिभाषा में, एक "निकाय निगमित" को शामिल किया गया है और/या

इसे पढ़ा जाए ताकि एक "निकाय निगमित" को एक सेवा प्रदाता के रूप में लाया जा सके जो अपने भीतर परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करता है।

सेवा कर के दायरे में, इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या 2005 के संशोधन के माध्यम से "परामर्श अभियंता" की परिभाषा में संशोधन करने वाले बाद के संशोधन में "परामर्श अभियंता" की परिभाषा के भीतर एक "निकाय निगमित" जोड़ा जाएगा

पूर्वव्यापी और/या क्या इसे प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक कहा जा सकता है या नहीं और उक्त मुद्दा अब अकादमिक हो जाएगा। [पैरा 12] [34-बी-डी] 1.4 प्रत्यर्थी, परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएँ प्रदान करने वाला एक सेवा प्रदाता होने के नाते, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था/है क्योंकि ऐसी सेवाएँ "परामर्श इंजीनियर" के रूप में होती हैं।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) की परिभाषा और इसलिए और इस प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने केवल एक ही मुद्दे पर विचार किया है कि क्या वित्त विधेयक, 2006 से पहले की अवधि के लिए क्या "निगमित निकाय" को "केंद्रीय अपवाद मंत्री, रायपुर बनाम से परामर्श" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया था।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) के तहत और इसमें उठाए गए किसी भी अन्य मुद्दे/आधार पर विचार नहीं किया गया है।CESTAT से पहले। इसलिए, मामला रीमा है।

सी. ई. एस. टी. ए. टी. सी. पर अपील की जांच और निर्णय करेगा

एन. डी. [पैरा 13] [34-डी-जी]

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191-अनुसरण किया गया।

आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम। जे. एच. गोटला,

यादगिरी, (1985) 4 एस. सी. सी. 343: [1985] 2 पूरक। एससीआर 711; के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम (1981)

4 एससीसी 173: [1982] 1 एस. सी. आर. 629-पर निर्भर।

TCS v. भारत संघ 2016 (44) एसटीआर 33 (केएआर); एम. एन. दस्तूर लिमिटेड बनाम भारत संघ 2006 (4) एसटीआर (3)

सी. ए. एल-अनुमोदित। सी. सी. ई बनाम सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ड्री वर्क्स 2014

(34) एसटीआर 191 (डेल), एसटी बैंगलोर बनाम। टर्बोटेक परिशुद्धता 2010 (18) एसटीआर 545, सेवा आयुक्त

कर, बैंगलोर बनाम। एआरएसीओ निगम, जापान 2010

एस. सी. सी. ऑनलाइन के. ए. आर. 5448, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (2016) 1 एस. सी. सी. 170: [2015] 8 एस. सी. आर. 1046, मोतीपुर जमींदारी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर 1953 एस. सी. 320: [1953] एससीआर 720; वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम। फ्रेजर और रॉस, एआईआर 1960 एससी 971: [1960] एससीआर 857; भाग मल बनाम। च. प्रभु राम, (1985) 1 एस. सी. सी. 61 [1985] 1 एस. सी. आर. 1099; पप्पु स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम। व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (1998) 7 एस. सी. सी. 228 [1998] 2 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 119; जेम ग्रेनाइट्स बनाम। सी. आई. टी., टी. एन. (2005) 1 एस. सी. सी. 289: [2004] 6 पूरक। एससीआर 332 ; सी. आई. टी वी. शताब्दी कताई और विनिर्माण कं।

लिमिटेड (1953) 24 आईटीआर 499, वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड। वी. सी. आई. टी., ए. पी., हैदराबाद (1981) 4 एस. सी. सी. 435: [1982] 1 एससीआर 789; सीआईटी बनाम। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, (2015)

1 एससीसी 1 [2014] 12 एससीआर 1037; टाटा कंसल्टेंसी

सेवाएँ v. भारत संघ, 2001 (130) ई. एल. टी. 726; एम. एन. दस्तूर लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2006 (2) एसटीआर 532

सी. ए. एल. को संदर्भित किया गया।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1982] 1 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8.1

[1985] 2 पूरक। एससीआर 711

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8.2

[2018] 7 एससीआर 1191

पीछा किया।

पै

रा 8.3

[2015] 8 एससीआर 1046

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.7

[1953] एससीआर 720

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.10

[1960] एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.11

[1985] 1 एससीआर 1099

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.12

[1998] 2 पूरक। एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.2

[2004] 6 पूरक। एससीआर 332

पै

रा 4.2

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 789

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.8

[2014] 12 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.9

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4928

2018 से।

निर्णय और आदेश दिनांक 04.12.2015 से आदेश No.STA/में

53723 / 2015 - सी. ई. एस. टी. ए. टी., नई दिल्ली का सी. यू. (डी. बी.) अपील No.ST/136 2007 में।

बलबीर सिंह, एएसजी, सुश्री निशा बागची, श्याम गोपाल, अमित शर्मा,

अदित खुराना, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. के. साहू, केदार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, पश्चिम खंड संख्या 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली (इसके बाद 'सी. ई. एस. टी. ए. टी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा अपील संख्या 1 में पारित आदेश। एस. टी./136/2007, जिसके द्वारा विद्वत सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने प्रतिवादी द्वारा यहां वरीयता दी गई उक्त अपील को अनुमति दी है और यह अभिनिर्धारित करते हुए सेवा कर के प्रति मांग को दरकिनार कर दिया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं-"सलाहकार अभियंता सेवा" सेवा कर के अधीन नहीं थीं,

राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

आयुक्त

केंद्रीय अपवाद, रायपुर बनाम। मेसर्स एसईपीसीओ

इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

2. कि इसमें प्रतिवादी-मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन चीन सरकार की कंपनी है चीन गणराज्य में निगमित, जिसका कार्यालय एसपीईसी स्थल पर है

कार्यालय, बाल्को नगर, कोरबा (सी. जी.) ने मेसर्स के साथ 26.04.2003 दिनांकित अनुबंध किया। "डिजाइन इंजीनियरिंग सेवाएँ" और "परियोजना प्रबंधन और तकनीकी सेवाएँ" प्रदान करने के लिए भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा (संक्षेप में, "बाल्को")। उक्त समझौते के संदर्भ में, इसने मेसर्स बाल्को को "कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विसेज" प्रदान की। राजस्व के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा "सलाहकार अभियंता सेवाओं" के रूप में प्रदान की गई सेवाओं पर, प्रत्यर्थी सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। राजस्व के अनुसार, न तो प्रतिवादी सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत था और न ही उसने भुगतान की प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान किया था ऐसी सेवाओं के लिए। राजस्व के अनुसार, अनुबंध के तहत, कर योग्य सेवा का मूल्य रु। 1,12,90,53,457 / - पहले से ही प्रदान किया जा चुका था और मेसर्स द्वारा प्रत्यर्थी को भुगतान किया गया था। बाल्को, जिस पर सेवा कर देयता निर्धारित की गई थी, रु। 10,42,71,437 / - जो प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। राजस्व के अनुसार, यह विभाग से सेवा कर पंजीकरण प्राप्त करने में भी विफल रहा।

2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65,66 और 68 के साथ पठित धारा 73 के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक 26.05.2006 का एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें धारा 75 के तहत ब्याज के साथ सेवा कर और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 76 और 77 के तहत जुर्माना लगाने की मांग की गई थी।

2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर ने आदेश-मूल दिनांक 31.01.2007 के माध्यम से Rs.10,42,71,437/- की सेवा कर राशि की मांग की पुष्टि की और ब्याज के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया। आयुक्त ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 78 के तहत इतनी ही राशि का जुर्माना भी लगाया। 150 / -वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 77 के तहत धारा 76 और Rs.1000/- के तहत प्रति दिन।

2.3 मूल दिनांक 31.01.2007 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने इसके समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी सी. ई. एस. टी. ए. टी., नई दिल्ली जिसमें अपील सं. एसटी/136/2007।

2.4 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सेवा कर की मांग को दरकिनार करते हुए उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है। विवाद की प्रासंगिक अवधि, अर्थात् अगस्त, 2003 से नवंबर, 2005 के दौरान, प्रत्यर्थी एक निगमित निकाय होने के नाते [2022] 17 एस. सी. आर. के अंतर्गत नहीं आया था।

"सलाहकार इंजीनियर" की परिभाषा। केवल उपरोक्त आधार पर, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने मांग को दरकिनार कर दिया है।

2.5 विद्वत सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए मांग को दरकिनार करने में दिए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कि संबंधित अवधि के दौरान प्रतिवादी एक निगमित निकाय होने के नाते "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता था, राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. राजस्व की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह पेश हुए और श्री पी. के. साहू ने यह जानकारी दी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं।

3.1 राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने कहा है कि यह मुद्दा वर्तमान अपील में शामिल है।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) के तहत "परामर्श अभियंता" की परिभाषा के दायरे से संबंधित है, विशेष रूप से यह कि क्या 2005 में संशोधन से पहले एक "निकाय निगमित" इसके दायरे में आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "परामर्श इंजीनियरों" की परिभाषा में

धारा 65 (31) में पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर या पेशेवर रूप से शामिल इंजीनियरिंग फर्म द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। योग्य इंजीनियर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर योग्य विशेषता यह है कि सेवाओं को पेशेवर क्षमता में प्रदान किया जाना चाहिए।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कराधान का अर्थ

क़ानूनों के अनुसार, न्यायालयों को निर्माण के सख्त नियम लागू करने होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सख्त व्याख्या में सख्त शाब्दिकता शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की जा सकती है जो "स्पष्ट विधायी इरादा" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले में

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2018) 9 एस. सी. सी. 1 (पैरा 28), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है और कहा है कि 'सख्त व्याख्या' में ऐसी शाब्दिकता शामिल नहीं है, जो बेतुकी हो जाती है और विधायी इरादे के खिलाफ जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि शाब्दिकता है स्पेक्ट्रम का सुदूर छोर, जिसमें यह कोई निहितार्थ या निष्कर्ष स्वीकार नहीं करता है, तो सख्त व्याख्या को कुछ प्रकार के आवश्यक निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए निहित किया जा सकता है जिन्हें शाब्दिक नियम स्वीकार नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है और दोहराया जाता है कि कर कानून का अर्थ लगाते समय आवश्यक निष्कर्षों को पढ़ा जा सकता है।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि "परामर्श" शब्द की परिभाषा

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में इस सिद्धांत पर इंजीनियर का परीक्षण किया गया है। भारत संघ, 2001 आयुक्त

केंद्रीय अपवाद, रायपुर बनाम। मेसर्स एसईपीसीओ

इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

(130) ईएलटी 726। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस सिद्धांत पर आगे बढ़ा कि यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी क़ानून की भाषा अपने सामान्य अर्थ में एक स्पष्ट विसंगति या विरोधाभास की ओर ले जाती है, तो न्यायालय उस पर एक ऐसा निर्माण करने का हकदार है जो उसमें उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद पैरा 11 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया जाता हैः

" तत्काल मामले में स्थिति अलग नहीं है। मेरी राय में, अधिनियम के विषय या संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी कंपनी को शामिल करने से रोक सकेः इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों के संबंध में अपने ग्राहकों को प्रदान की गई किसी भी सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता पर सेवा कर का उद्ग्रहण। वास्तव में, यदि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अपने ग्राहकों को तकनीकी सेवाएं, सलाह या परामर्श प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को कर दायरे से हटा देगा, जबकि किसी व्यक्ति या साझेदारी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी कोई भी सेवा कर योग्य बनी रहेगी। द.

अधिनियम, मेरी राय में, इस तरह के किसी भी वर्गीकरण की परिकल्पना नहीं करता है, जिससे विसंगतियां पैदा होती हैं और उन्हें कायम रखा जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि याचिकाकर्ता-कंपनी सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी

अतः इसमें दोष नहीं पाया जा सकता है। "

इसके बाद एम. एन. दस्तूर लिमिटेड बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत संघ, 2006 (2) एसटीआर 532 सी. ए. एल. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो निर्णयों की बाद में पुष्टि की गई है संबंधित उच्च न्यायालयों की खंड पीठें।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. सी. एस. बनाम के मामले में। भारत संघ 2016 (44) एस. टी. आर. 33 (के. ए. आर.) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधायिका का इरादा सेवा कर के दायरे में "परामर्श अभियंता" को लाना है और जब तक व्यक्ति एक परामर्श अभियंता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, फर्म हो या कंपनी हो, वे "परामर्श अभियंता" के दायरे में आते हैं।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एन. दस्तूर लिमिटेड के मामले में v. भारत संघ 2006 (4) एस. टी. आर. (3) सी. ए. एल. ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि

यह अकल्पनीय है कि एक "सलाहकार इंजीनियर" एक व्यक्ति के रूप में या एक साझेदारी फर्म या एक स्वामित्व फर्म का गठन कर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेवा कर कानूनों के तहत, लेकिन वही व्यक्ति जो एक कंपनी बनाते हैं, एक [2022] 17 एस. सी. आर.

अलग-अलग न्यायिक व्यक्ति, शेयरधारकों के अलावा एक अलग कानूनी इकाई, कर दायरे से बाहर होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि धारा 65 (48) (छ) के तहत परिभाषित "कर योग्य सेवा" प्रदान करने वाली कंपनी कर योग्य सेवा क्यों नहीं होगी, जबकि ऐसा तब होगा जब वह किसी व्यक्तिगत योग्य इंजीनियर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है।

इंजीनियरों की स्वामित्व या साझेदारी फर्म। यह थोड़ा बेतुका लगता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो निर्णयों में, संबंधित उच्च अदालतों ने क़ानून की पूरी योजना पर विस्तार से विचार किया है और

संदर्भ।

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित आदेश पारित करते समय, विद्वान सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है

सी. सी. ई. बनाम का मामला। सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ड्री वर्क्स 2014 (34) एसटीआर 191 (डी. ई. एल.) जो सी. एस. टी. बैंगलोर बनाम के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय का अनुसरण करता है। टर्बोटेक प्रिसिजन 2010 (18) एसटीआर 545। यह प्रस्तुत किया जाता है कि टर्बोटेक परिशुद्धता (उपर्युक्त) के मामले में, उच्च न्यायालय ने सेवा कर आयुक्त, बैंगलोर बनाम के मामले में अपने पहले के निर्णय का पालन किया। ए. आर. ए. सी. ओ. निगम, जापान 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन के. ए. आर. 5448। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन दोनों निर्णयों में टी. सी. एस. (ऊपर) और एम. एन. दस्तूर (ऊपर) के मामलों में समन्वय पीठ के पहले के बाध्यकारी निर्णयों का कोई तर्क या कोई संदर्भ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में विभाग ने टर्बोटेक प्रिसिजन (ऊपर) और सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) में सिविल अपील संख्या होने के फैसलों के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की थी। 6429/2015 और 6430/2015 क्रमशः। हालांकि, उन्हें कार्य अनुबंध की करयोग्यता के अलग मुद्दे पर खारिज कर दिया गया है।

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एस. सी. सी. 170.

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान विवाद में, विद्वत न्यायाधिकरण ने अपने दिमाग को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है, हालांकि उसने नोट किया है कि उसे कार्य अनुबंध के पहलू के लिए अनुबंधों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। अतः उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2005 का संशोधन विशुद्ध रूप से था

इरादे और उद्देश्य में स्पष्टीकरण और "इंजीनियरिंग फर्म" शब्दों को "किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या किसी अन्य फर्म" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करना केवल एक स्पष्टीकरण है। संशोधन का उद्देश्य "बॉडी कॉर्पोरेट" शब्द को शामिल करना नहीं था। 3.10 मोतीपुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 320, यह आयोग है।

केंद्रीय अपवाद, रायपुर बनाम। मेसर्स एसईपीसीओ

इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

श्री बलबीर सिंह द्वारा आगे प्रस्तुत, ए. एस. जी. ने सीखा कि इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्तिगत मालिक और एक कंपनी के बीच अंतर करने का कोई कारण नहीं है जो संपत्ति या कार्यकाल का मालिक है।

3.11 वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। फ्रेजर

और रॉस, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 971, श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी वैधानिक परिभाषाओं या संक्षिप्त शब्दों को विभिन्न योग्यताओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। उन परिभाषा खंडों में व्यक्त किया गया है जिन्होंने उन्हें बनाया और यह हो सकता है कि जहां परिभाषा संपूर्ण है, क्योंकि परिभाषित शब्द का अर्थ एक निश्चित चीज कहा जाता है, वहां भी विषय या संदर्भ के आधार पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शब्द का कुछ अलग अर्थ होना संभव है।

3.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि के. पी. वर्गीज बनाम के मामले में।

आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम (1981) 4 एस. सी. सी. 173, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि संभव हो तो वैधानिक प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि बेतुकेपन और शरारत से बचा जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भाग मल बनाम के मामले में उपरोक्त निर्णय के बाद। च. प्रभु राम, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 150 = (1985) 1 एस. सी. सी. 61, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है, न्यायालय विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकता है या यहां तक कि इसके लिए कुछ हिंसा भी कर सकता है ताकि विधानमंडल के स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक

तर्कसंगत निर्माण।

3.13 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और टी. सी. एस. और एम. एन. दस्तूर के मामलों में उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करना।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. के. साहू ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। 4.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि व्याख्या पर 01.05.2006 पर संशोधन से पहले प्रचलित प्रावधानों पर विचार करते हुए

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि "परामर्श अभियंता" की परिभाषा को बाद में "किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या किसी अन्य फर्म" की ऐसी सेवाओं को विशेष रूप से शामिल करने के लिए 01.05.2006 से संशोधित किया गया है, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिबद्ध नहीं किया है।

यह मानने में कोई त्रुटि कि 01.05.2006 से पहले, कंपनी/निकाय कॉर्पोरेट को "परामर्श इंजीनियर" के अर्थ में शामिल नहीं किया गया था।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पप्पु मिठाई और बिस्कुट के मामलों में v. व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (1998) 7 एससीसी 228 और जेम ग्रेनाइट्स वी। सी. आई. टी., टी. एन., (2005) 1 एस. सी. सी. 289, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पहले के वैधानिक प्रावधान की उचित व्याख्या को ठीक करने के लिए बाद के विधान पर विचार किया जा सकता है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 65 (31) में संशोधन संभावित था और किसी भी संदेह के स्पष्टीकरण/हटाने के रूप में नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार स्पष्टीकरण के भाग-III में

पैरा (3) (10) और पत्र एफ. नं. में सेवा कर से संबंधित वित्त विधेयक, 2006 के लिए ज्ञापन। 334/2006-TRU दिनांकित 28.02.2006, समझाते हुए

पैरा 3.12 (10) में बजट में परिवर्तन विशेष रूप से समझाया गया है कि "किसी भी फर्म या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं" को शामिल करने के लिए "सलाहकार इंजीनियर सेवा" में संशोधन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार इरादा पहली बार "निकाय कॉर्पोरेट द्वारा इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं" को लाने का था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विवादित अवधि के दौरान "निकाय निगमित" "सलाहकार अभियंता" के अर्थ के भीतर नहीं था।

4.4 अब जहाँ तक टी. सी. एस. के मामलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता है और

विद्वान ए. एस. जी. द्वारा एम. एन. दस्तूर (ऊपर) का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि "सलाहकार अभियंता" पर उच्च न्यायालयों के उक्त निर्णय/निर्णय 2006 के संशोधन से पहले थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन के बाद, दिल्ली और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों ने पिछली भाषा की व्याख्या करने के लिए बाद के कानून पर भरोसा किया है और कहा है कि "निकाय निगमित" "सलाहकार अभियंता" के अर्थ के भीतर नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है जिसने एक अलग दृष्टिकोण लिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. लगातार इस दृष्टिकोण का पालन कर रहा है कि "निकाय निगमित" 01.05.2006 से कर योग्य हो गया है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि "इंजीनियरिंग" का सबसे उपयुक्त अर्थ है

"फर्म" को समाज के सिद्धांत को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। "पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर" अभिव्यक्ति से रंग लेते हुए, एक

इंजीनियरिंग फर्म का अर्थ पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियरों की साझेदारी फर्म होना चाहिए। संशोधन के बाद, अन्य सभी प्रकार की फर्मों और निकाय निगमों को "सलाहकार अभियंता" अभिव्यक्ति के भीतर शामिल किया गया था।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में, आम बोलचाल में

साथ ही कानूनी हलकों में, "फर्म" को साझेदारी फर्म के रूप में समझा जाता है न कि केंद्रीय अपवाद आयोग, रायपुर V.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

व्यवसाय। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी। 8 इस शब्दकोश के संस्करण (2004) में कहा गया है कि पारंपरिक रूप से यह शब्द साझेदारी को संदर्भित करता है, लेकिन आज यह अक्सर एक कंपनी को संदर्भित करता है। 4.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय विधानसभाएँ और अदालतें "फर्म" और "कंपनी" को अलग-अलग अभिव्यक्तियों के रूप में उपयोग कर रही हैं। वित्त अधिनियम, 1994, आयकर अधिनियम, 1961, सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017, कंपनी अधिनियम, 2013 सहित अधिकांश अधिनियमों में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषा खंड में "कंपनी" और "फर्म" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

अलग से। सेवा कर कानून (वित्त अधिनियम, 1994) ने कई प्रावधानों में फर्म और कंपनी/निकाय कॉर्पोरेट को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में माना है:

65 (19 ख) "व्यावसायिक संस्था" में व्यक्तियों का एक संघ शामिल है,

व्यक्तियों, कंपनी या फर्म का निकाय लेकिन इसमें शामिल नहीं है

किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या किसी अन्य निकाय सहित ऐसी बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान को देय किसी राशि की वसूली के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा निगमित या फर्म निगमित या एक फर्म, किसी भी तरह से

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 65 (105) (जेडजेडएल) और 73 डी स्पष्टीकरण में "फर्म" और "कंपनी" का अन्य अलग-अलग उल्लेख है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 में धारा 90,94,137 और 159 में इन शब्दों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 में, धारा 2 (49 (7,25,215 और 341), अभिव्यक्ति फर्म और कंपनी/निकाय कॉर्पोरेट हैं

एक तरफ से उपयोग किया जाता है। अन्य अधिनियमों में, कंपनी को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए फर्म को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि दोनों समान नहीं हैं।

4.8 प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री साहू ने आगे कहा है

प्रस्तुत किया कि यह इस न्यायालय द्वारा सी. आई. टी. बनाम के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है। सदी

स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1953) 24 आईटीआर 499 और वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड v. सी. आई. टी., ए. पी., हैदराबाद, (1981) 4 एस. सी. सी. 435 = (1981) 132 आई. टी. आर. 559 (एस. सी.) कि जहां एक अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय सामान्य प्राकृतिक अर्थ का सहारा लेगा जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आम बोलचाल में, अदालत के फैसलों और विधानों, "फर्म" को हमेशा [2022] 17 एस. सी. आर. के रूप में समझा गया है।

साझेदारी फर्म। इसलिए, वर्तमान मामले में, 2006 में अपने संशोधन से पहले "सलाहकार अभियंता" में केवल व्यक्तिगत और साझेदारी फर्म शामिल होनी चाहिए, न कि "निकाय निगमित"।

4.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

सी. आई. टी. वी. के मामले में। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, (2015) 1 एस. सी. सी. 1 कि यदि प्रावधान अस्पष्ट है और दो के लिए अतिसंवेदनशील है

व्याख्या, वह व्याख्या जो राजस्व के विपरीत निर्धारिती के पक्ष में है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, इसे खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

वर्तमान अपील।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

लंबाई में।

इस पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न

न्यायालय, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) के तहत "परामर्श अभियंता" की परिभाषा का दायरा है, विशेष रूप से यह कि क्या 2005 में संशोधन से पहले एक "निकाय निगमित" इसके दायरे में आता है।

5.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2005 के बाद,

धारा 65 (31) के तहत "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा में संशोधन किया गया है और अब इसमें विशेष रूप से एक "निकाय निगमित" शामिल है। इसलिए, 2005 के संशोधन के बाद की कार्यवाही के संबंध में, कोई नहीं होगा

कठिनाई। संशोधन के बाद, कोई भी "निकाय निगमित", एक सेवा प्रदाता जो "सलाहकार अभियंता" के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एकमात्र सवाल जो बचा है वह यह है कि क्या वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) के तहत "परामर्श अभियंता" की पूर्व परिभाषा के तहत, "परामर्श अभियंता" के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाला एक "निकाय निगमित" सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था या नहीं?

6. वर्तमान मुद्दे पर विचार करते हुए, प्रासंगिक वैधानिक

वित्त अधिनियम, 1994 के तहत प्रावधानों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:

" धारा 65। परिभाषाएँ-इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक है: -

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(31) " परामर्शी इंजीनियर "का अर्थ है कोई भी पेशेवर रूप से योग्य व्यक्ति।

किसी भी मामले में कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करना। इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में एक ग्राहक के लिए तरीका; केंद्रीय एक्साइज के आई. आई. एस. एस. आई. एन. आर., रायपुर v.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(105) " कर योग्य सेवा "का अर्थ है प्रदान की गई कोई भी सेवा (या प्रदान की जाने वाली)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(छ) कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के विषय सहित इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में किसी भी तरह से सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में एक सलाहकार इंजीनियर द्वारा एक ग्राहक को, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विषय को छोड़कर;

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कर योग्य सेवा में कोई भी कर योग्य सेवा शामिल है जो किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रदान की जाती है या प्रदान की जाती है।

सेवा कर का प्रभार।

धारा 66। धारा 65 के खंड (105) के उपखंडों में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से कर (इसके बाद सेवा कर के रूप में संदर्भित) लगाया जाएगा और ऐसी तरीके से एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

धारा 68 (1) किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान उस तरीके से और उस अवधि के भीतर करेगा जो निर्धारित की जाए। (2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र द्वारा अधिसूचित किसी भी कर योग्य सेवा के संबंध में

इस अध्याय के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। सेवा करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजीकरण।

धारा 69 (1) इस अध्याय या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह के भीतर करेगा। समय और इस तरह से और ऐसे रूप में जो निर्धारित किया जाए,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को पंजीकरण के लिए आवेदन करें।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जो उस समय के भीतर और उस तरीके से और उस रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए।

रिटर्न प्रस्तुत करना।

धारा 70 (1) सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर देय कर का आकलन करेगा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को ऐसे प्रपत्र में और इस तरह से और इस तरह की आवृत्ति पर और इस तरह के विलंब शुल्क के साथ एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

वापसी प्रस्तुत करने में देरी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) धारा 69 की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को ऐसे प्रपत्र में और इस तरह से और इस तरह से विवरणी प्रस्तुत करेगा। आवृत्ति जो विहित की जाए "।

1 धारा 65 (31) के तहत "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा, पद

लेंट 2005, निम्नानुसार हैः

" धारा 65 (31) "सलाहकार अभियंता" का अर्थ है -

पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर या कोई निकाय कॉर्पोरेट या कोई अन्य फर्म जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से किसी ग्राहक को कोई सेवा, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में "

2 इस पर विचार करने से पहले, संशोधन का प्रभाव

2005 के बाद "कोई भी निकाय निगमित" शब्दों पर विचार करते हुए, हमें यह जानना होगा कि क्या "सलाहकार अभियंता" की मूल परिभाषा के तहत

एन. सी. ई. अधिनियम, 1994 में "कोई भी निगमित निकाय" शामिल हो सकता है या नहीं।वित्त अधिनियम, 1994 के तहत, धारा 65 (31) में "परामर्श" की परिभाषा में एक ग्राहक को एक एकल योग्य इंजीनियर या एक इंजीनियरिंग फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्रीय विशेषज्ञ आयोग, रायपुर v.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर। कर योग्य विशेषता यह है कि सेवाओं को पेशेवर क्षमता में प्रदान किया जाना चाहिए। 7.1 ऊपर निर्दिष्ट वित्त अधिनियम, 1994 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों से, "कर योग्य सेवा" का अर्थ है प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा। वित्त अधिनियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, कई स्थानों पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "व्यक्ति" है। उदाहरण के लिए, धारा 68 के अनुसार, किसी भी "व्यक्ति" को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक "व्यक्ति" सेवा कर का भुगतान करेगा। धारा 69 में प्रावधान है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक "व्यक्ति" पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 70 में भी,

उपयोग किए गए शब्द हैं "सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति"।

8. यदि प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो

उस स्थिति में, यह अपने ग्राहकों को तकनीकी सेवाएं, सलाह या परामर्श प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को सेवा कर के दायरे से हटा देगा, जबकि किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी कोई भी सेवा कर योग्य बनी रहेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की ओर से "परामर्श अभियंता" की परिभाषा से "निगमित निकाय" को बाहर करने का कोई इरादा नहीं है। "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा से "निकाय निगमित" को बाहर करने का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रत्यर्थी की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है और निकाय

कॉर्पोरेट को सेवा कर से बाहर रखा गया है, उस स्थिति में, यह न केवल बेतुकेपन का कारण बनेगा, बल्कि एक ही सेवा प्रदान करने वाले दो अलग-अलग वर्ग भी बनाएगा। समान सेवाएँ प्रदान करने वाले दो अलग-अलग वर्गों का निर्माण करना और एक वर्ग को बाहर करना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है। 8.1 के. पी. वर्गीज (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि वैधानिक प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए, यदि संभव हो, तो बेतुकेपन और शरारत से बचा जा सकता है।

8.2 आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम के मामले में। जे. एच. गोटला, यादगिरी, (1985) 4 एस. सी. सी. 343, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 46 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 46. जहाँ एक सांविधिक की सादा शाब्दिक व्याख्या

प्रावधान एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है जो विधानमंडल द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं हो सकता था, न्यायालय विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकता था ताकि विधानमंडल के इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत निर्माण किया जा सके। एक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या का कार्य भाषा [2022] 17 एस. सी. आर. से विधानमंडल के इरादे की खोज करने का एक प्रयास है।

उपयोग किया जाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि भाषा मानव इरादे की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है। जज लर्नड हैंड द्वारा दी गई चेतावनी को याद रखना अच्छा है कि किसी को शब्दकोश से बाहर किले नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखें कि कानूनों का हमेशा कोई न कोई उद्देश्य या उद्देश्य होता है। सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज को पूरा करना है

उनके अर्थ के लिए सबसे निश्चित मार्गदर्शक। "

8.3 दिलीप कुमार एंड कंपनी (ऊपर) के मामले में, ए

इस न्यायालय की शीर्षक पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" i) एक कर कानून की व्याख्या करने में, न्यायसंगत विचार हैंः

पूरी तरह से जगह से बाहर; (ii) किसी कर कानून की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणा पर नहीं की जा सकती है।

(ग) कर कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आलोक में की जानी चाहिए। (iv) इसका अर्थ कुछ भी नहीं हो सकता है जो व्यक्त नहीं किया गया है;

यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है किः

सामान्य खंड अधिनियम; (ix) संसद/विधानमंडल का कोई अधिनियम सभी प्रकार की स्थितियों और सभी प्रकार के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।

यह अदालत का दायित्व है कि वह केंद्रीय मंत्री, रायपुर बनाम को देखे। मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

क्या कोई विशेष मामला कानून के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है

विधानमंडल द्वारा अधिनियमित;

x) संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी अधिनियमों और विनियमों में, सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों और सामान्य खंड अधिनियम में निर्धारित व्याख्या के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए; xi) व्याख्या का उद्देश्य अनिवार्य रूप से इरादे को जानना है।

विधानमंडल से। क्या विधानमंडल का किसी मामले में कानून को लागू करने का इरादा था; क्या विधानमंडल का किसी मामले में कानून के संचालन को बाहर करने का इरादा था; क्या विधानमंडल का इरादा प्राधिकरण को लागू करने या न्यायनिर्णायक एजेंसी को विवेकाधिकार देने का था।

कानून को लागू करने के लिए, अनिवार्य रूप से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल कानून के इरादे को जानकर ही मांगे जा सकते हैं;

xii) एक क़ानून का अर्थ विधानमंडल के इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए और अदालतों को कानून को लागू करते समय और कानून की व्याख्या करते समय कानून के सच्चे इरादे पर कार्य करना चाहिए। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक अर्थों के लिए खुला है, तो न्यायालय

उस व्याख्या को चुनना है जो इरादे का प्रतिनिधित्व करती है

विधानमंडल; xiii) यदि सादा भाषा बेतुकी हो जाती है, तो न्यायालय को उस संदर्भ में शब्द का अर्थ निर्धारित करने का अधिकार है जिसमें इसका उपयोग विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इतना ही नहीं, यदि सादा निर्माण विसंगति और बेतुकेपन की ओर ले जाता है, तो न्यायालय इस तरह के प्रावधान से होने वाली कठिनाइयों और परिणामों को ध्यान में रखते हुए कानून के सही इरादे की व्याख्या भी कर सकता है; और

एक अपवाद या एक छूट प्रावधान का निर्माण, उन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए। एक अपवाद का आह्वान करने वाला व्यक्ति या उसे कर देयता से मुक्त करने के लिए छूट के प्रावधान से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के दायरे में आता है। संदेह होने पर

या अस्पष्टता, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए।

9. कर कानून की व्याख्या के कानून पर उपरोक्त कानूनों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह तय करना आवश्यक है कि क्या एक "निकाय निगमित" को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा से बाहर रखा गया था।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2005 के संशोधन से पहले, दिनांक 4.7.1997 के परिपत्र/व्यापार सूचना द्वारा, वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा को विशेष रूप से समझाया गया था और उक्त व्यापार सूचना के अनुसार, "सलाहकार अभियंता" का अर्थ है कोई भी

पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर या इंजीनियरिंग फर्म जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में किसी ग्राहक को किसी भी तरह से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता बेचती है। इसने आगे यह भी स्पष्ट किया कि "सलाहकार इंजीनियर" में स्व-नियोजित शामिल होंगे। पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर जिसने अपनी सहायता के लिए दूसरों को नियुक्त किया हो या न किया हो या यह एक इंजीनियरिंग फर्म-चाहे वह एकल स्वामित्व के रूप में संगठित हो-साझेदारी, एक निजी या एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है।

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि कानून का इरादा कभी भी "निकाय कॉर्पोरेट" की परिभाषा से बाहर करने का नहीं था।

" सलाहकार इंजीनियर "और" सेवा कर जाल "से। 10.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वित्त अधिनियम, 1994 शासन के दौरान और 2005 के संशोधन से पहले,

" वित्त अधिनियम, 1994 के तहत लागू सलाहकार अभियंता

टी. सी. एस. (उपर्युक्त) और एम. एन. दस्तूर (उपर्युक्त) के मामलों में कर्नाटक और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार। उपरोक्त दोनों मामलों में, संबंधित उच्च न्यायालयों को "सलाहकार अभियंता" शब्द की परिभाषा पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला।

10.2 टी. सी. एस. (उपरोक्त) के मामले में, टी. सी. एस. की ओर से यह मामला था कि वह किसी भी कर की वसूली या जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि यह था

समय-समय पर संशोधित वित्त अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 65 (41) के अर्थ के भीतर कर योग्य सेवा प्रदान नहीं करना। यह तर्क दिया गया था कि इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में एक सलाहकार इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा केवल तभी कर योग्य थी जब ऐसी सेवाएं वित्त अधिनियम की धारा 65 (31) में परिभाषित परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाती थीं। टी. सी. एस. के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, भले ही उसने अपने व्यवसाय को जारी रखने या बढ़ावा देने के लिए योग्य इंजीनियरों को नियुक्त किया हो, वित्त अधिनियम के अर्थ के भीतर कर योग्य सेवा के समान नहीं होगी ताकि उसके आधार पर किसी भी मांग को उचित ठहराया जा सके। वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा लगाए गए सेवा कर देयता की पूरी योजना का विश्लेषण करने के बाद, इसे पैराग्राफ 6 से 11 में निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

" 6. ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ से यह स्पष्ट है कि कर योग्य घटना आई. आई. एस. एस. आई. एन. आर. ओ. सी. आई. एस. आई. सी. आई. एस. आई. सी. आई. एस. आई. सी. आई. एस. आई. सी. आई. एस. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई.

आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई. आई. सी. आई.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

प्रदाता पर पड़ने वाला शुल्क। यह भी स्पष्ट है कि भुगतान करने का दायित्व केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। शुल्क इस पर पड़ता है

' सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। अभिव्यक्ति 'प्रत्येक व्यक्ति' बदले में एक कंपनी को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

कंपनी अधिनियम के तहत निगमित। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम की योजना में ऐसी सेवाओं पर कर की परिकल्पना की गई है जिन्हें कर लगाने के उद्देश्यों के लिए कर योग्य बताया गया है। यह कर लगाने और संग्रह करने के उद्देश्यों के लिए है चाहे सेवा प्रदाता कोई व्यक्ति हो या न्यायिक व्यक्ति।

एक निगमित कंपनी की तरह। अब तक कोई कठिनाई नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है

अंतर अभिव्यक्ति "परामर्श" की परिभाषा है।

अधिनियम की धारा 65 (13) और धारा 65 (48) द्वारा प्रदान की गई इंजीनियर "और" कर योग्य सेवा "। इस स्तर पर भी ऐसा ही हो सकता है

तैयार संदर्भ के लिए निकाला गया।

" धारा 65 (13): " परामर्शी इंजीनियर "का अर्थ है कोई भी पेशेवर

योग्य इंजीनियर या एक इंजीनियरिंग फर्म जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में किसी ग्राहक को किसी भी तरह से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ”

" धारा 65 (48): " "कर योग्य सेवा" का अर्थ है कोई भी सेवा

प्रदान किया गया

(छ) इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में किसी भी तरह से सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में एक सलाहकार इंजीनियर द्वारा एक ग्राहक को।

7. तर्क यह है कि इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा केवल तभी कर योग्य है जब वह किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, जो एक पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियर है या एक इंजीनियरिंग फर्म द्वारा। पेशेवर रूप से योग्य इंजीनियरों की सलाह के आधार पर भी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा कर योग्य सेवा नहीं है।

अधिनियम के तहत लेवी को आकर्षित करने के लिए। चूँकि याचिकाकर्ता कंपनी न तो एक व्यक्ति है और न ही एक साझेदारी का सरोकार है, इसलिए इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा, भले ही वह इंजीनियरिंग के किसी भी विषय से संबंधित हो और कंपनी की राय पर आधारित हो।

इसके द्वारा नियुक्त योग्य इंजीनियरों को कर योग्य सेवा नहीं माना जा सकता है। [2022] 17 एस. सी. आर. के बावजूद तर्क आकर्षक है।

समान रूप से ध्वनि नहीं। कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। सार में सवाल यह है कि क्या अधिनियम की योजना कुछ करती है

व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवाओं और एक ओर साझेदारी संबंधी चिंताओं और दूसरी ओर निगमित कंपनियों के बीच अंतर। जवाब नकारात्मक होना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य कर योग्य घोषित सेवाओं पर कर लगाना है, चाहे वे उनके द्वारा प्रदान की गई हों या नहीं।

प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति। अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता, जो एक व्यक्ति है, साझेदारी संस्था या निगमित कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं है। प्रदान की गई सेवा पर कर का भुगतान करने का दायित्व सभी पर समान रूप से पड़ता है

तीन, बशर्ते कि सेवा एक प्रकार की हो जिसे अधिनियम की धारा 65 (48) के तहत कर योग्य घोषित किया गया हो। इस प्रकार, सलाहकार इंजीनियरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मामले में अधिनियम द्वारा जो कर लगाया जाता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता की प्रकृति में और इंजीनियरिंग के किसी भी विषय से संबंधित सेवा है। यह तथ्य कि सेवा किसी व्यक्ति या साझेदारी या कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, पूरी तरह से महत्वहीन है। यह सच है कि "सलाहकार इंजीनियर" अभिव्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। पूरे विवाद को शांत करने के लिए एक कंपनी को शामिल करें, लेकिन यह तथ्य कि किसी भी इंजीनियरिंग विषय में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली कंपनी विशेष रूप से इसमें शामिल नहीं है

"सलाहकार अभियंता" पद की परिभाषा का वास्तविक अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसी किसी भी कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा को कर योग्य नहीं माना जा सकता है। यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी क़ानून की भाषा अपने सामान्य अर्थ में एक स्पष्ट विसंगति या विरोधाभास की ओर ले जाती है, तो न्यायालय को उस पर एक ऐसी रचना रखने का अधिकार है जो उसमें उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को संशोधित करती है। तीरथ सिंह बनाम में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। बचित्तर सिंह (ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 830), जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, उपयुक्त हैः

" जहाँ एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक संरचना में, एक प्रकट की ओर ले जाती है

अधिनियमन के प्रत्यक्ष उद्देश्य के विरोधाभास, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय के लिए, जो अनुमानित रूप से इरादा नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। [आई. एस. आई. एन. ए. आर. सी. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. आई. एस. आई. आई. एस. आई

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

8. आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है। जे. एच

गोटला (ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1698), जिसमें उनके अधिपतियों ने घोषणा की कि वैधानिक प्रावधान की एक स्पष्ट व्याख्या एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है, जिसका इरादा कभी नहीं किया जा सकता था।

विधायिका द्वारा, न्यायालय भाषा को संशोधित कर सकता हैः

" जहाँ किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है जो विधायिका द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं हो सकता था, न्यायालय इसमें संशोधन कर सकता है। विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा ताकि

विधायिका का इरादा और एक तर्कसंगत उत्पादन

निर्माण। एक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या का कार्य उपयोग की गई भाषा से विधानमंडल के इरादे की खोज करने का एक प्रयास है। यह याद रखना आवश्यक है कि भाषा मानव इरादे की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है। अधिनियम की धारा 16 (3) को विचाराधीन उद्देश्य के लिए धारा 24 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी विशेष प्रावधान का उद्देश्य अधिनियम की पूरी योजना से आसानी से स्पष्ट हो जाता है, जिसका प्रतिकार करने के लिए, इस मामले में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का प्रभाव जहां तक निर्धारिती की आय की गणना का संबंध है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इरादे का पता विधानमंडल द्वारा उपयोग की गई भाषा से लगाया जाना चाहिए और यदि सख्त शाब्दिक निर्माण एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है कि परिणाम कानून के उद्देश्य के अधीन होने का इरादा नहीं है, तो अगर सख्त शाब्दिक निर्माण के अलावा अन्य निर्माण संभव है, तो उस निर्माण को सख्त शाब्दिक निर्माण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि इक्विटी और कराधान अक्सर अजनबी होते हैं, लेकिन प्रयास किए जाने चाहिए कि ये हमेशा ऐसे न रहें और यदि कोई निर्माण हो।

अन्याय के बजाय समानता में परिणाम, तो इस तरह

निर्माण को शाब्दिक निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

9. नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

सीमित वी। के. श्रीपथिराव (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 658), जहाँ न्यायालय ने घोषणा की कि किसी अधिनियम में एक परिभाषा खंड को भी संदर्भ या विषय से अपना अर्थ प्राप्त करना चाहिए।

उस मामले में अदालत की व्याख्या की गई, जो कंपनी को शामिल करने से रोकेगी। न्यायालय उस मामले में बिहार भूमि की धारा 2 (0) द्वारा परिभाषित "स्वामी" शब्द की व्याख्या कर रहा था। सुधार अधिनियम। इसने अभिनिर्धारित किया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्तिगत मालिक और एक कंपनी के बीच अंतर करने का कोई कारण नहीं है जो स्वामित्व रखती है।

संपदा या कार्यकाल।

11. तत्काल मामले में स्थिति अलग नहीं है। मेरी राय में, विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय नहीं है

अधिनियम, जो किसी भी सलाह, परामर्श या सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी को शामिल करने से रोकता है। इंजीनियरिंग के एक या अधिक विषयों के संबंध में अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता। वास्तव में, यदि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अपने ग्राहकों को तकनीकी सेवाएं, सलाह या परामर्श प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को कर के दायरे से हटा देगा, जबकि किसी व्यक्ति या साझेदारी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी कोई भी सेवा जारी रहेगी।

कर योग्य बने रहें। अधिनियम, मेरी राय में, परिकल्पना नहीं करता है

ऐसा कोई भी वर्गीकरण विसंगतियों को पैदा करता है और उन्हें कायम रखता है जो उसी से बहती हैं। द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त कि याचिकाकर्ता कंपनी सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, इसलिए इसमें गलती नहीं पाई जा सकती है।

10.3 कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसा ही एक विवाद उत्पन्न हुआ

एम. एन. दस्तूर (ऊपर) का मामला। कलकत्ता उच्च न्यायालय में

आईडी मामला वित्त के तहत सेवा कर कानून पर भी विचार कर रहा था।

टी, 1994 शासन। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न इस प्रकार था -

क्या अभिव्यक्ति "इंजीनियरिंग फर्म" की परिभाषा में उपयोग की जाती है

वित्त अधिनियम, 1994, अध्याय की धारा 65 (31) में परिणाम अभियंता "

सेवा कर से संबंधित में एक कंपनी शामिल है।

उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया था।

सेवा कर की पूरी योजना पर विचार करने के बाद और

कर योग्य सम आदि सहित अधिनियम की धारा और अंततः अभिनिर्धारितयाचिकाकर्ता के खिलाफ और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस मामले में याचिकाकर्ता केंद्रीय अपवाद का आई. आई. एस. एस. आई. एन. आर., रायपुर बनाम।

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर कानून के अधीन था,

प्रासंगिक चर्चा, अवलोकन और अभिलिखित निष्कर्ष

उच्च न्यायालय पैराग्राफ 8 से 30 में इस प्रकार हैः

" सलाहकार इंजीनियरः चाहे इसमें कोई कंपनी शामिल होः

8. "सलाहकार इंजीनियर" की परिभाषा में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अन्य कर निर्धारकों को परिभाषित करने में उपयोग की जाने वाली समान अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। धारा 65 (13) में "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा के अलावा, अन्य सभी मामलों में, "व्यक्ति" या "चिंता" या "वाणिज्यिक चिंता" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। मान लीजिए, परिभाषित करने में एक अलग अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

" सलाहकार इंजीनियर "। यह तर्क नहीं दिया जा सकता था, और उचित रूप से, कि विधानमंडल ने जानबूझकर एक भेद किया था और इस तरह के भेद के कारण, इसका उद्देश्य अलग था। राजकोषीय कानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, यदि कुछ कानून में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर के अधिरोपण के अधीन नहीं है, तो उसे व्याख्या के माध्यम से कर दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

जैसा कि ए. वी. फर्नांडीज, [1957] 8 एसटीसी 561 (एससी) में आयोजित किया गया था। यह एक तय प्रस्ताव है कि यह कानून के स्पष्ट शब्द हैं न कि विधानमंडल का इरादा, जिसकी जांच यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि कर कानून ने स्पष्ट रूप से क्या कहा है। कोई जगह नहीं है

इरादा। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। वहाँ कोई नहीं है

कर के बारे में अनुमान। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है। केवल उपयोग की जाने वाली भाषा को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए जैसा कि उड़ीसा राज्य भंडारण निगम में निर्धारित किया गया था, [1999]

237 केप ब्रांडी से उद्धृत आईटीआर 589 (एससी)

सिंडिकेट वी. आई. आर. सी., [1921] 1 के. बी. 64 और सी. आई. टी. वी. में भी। अजाक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, [1965] 55 आईटीआर 741 (एससी)। उसी समय, जैसा कि सी. ए. अब्राहम, [1961] 41 आई. टी. आर. 425 (एस. सी.) में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि कोई कमी है तो अदालत उसे सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है। न्यायालय को कानून की व्याख्या वैसी ही करनी चाहिए जैसी वह है। संदेह के मामले में, करदाता के लिए अनुकूल व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही, बेतुकेपन के मामले में अदालत कमी को दूर कर सकती है, बेतुकेपन को दूर कर सकती है और कानून की व्याख्या उसके उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुसार करें।

9. "फर्म" शब्द में कंपनी शामिल नहीं हो सकती है। ए का नाम

साझेदारी फर्म एक साझेदारी फर्म में भागीदारों का वर्णन करने का एक शानदार तरीका है जैसा कि श्रीमती बाचा में निर्धारित किया गया था। एफ. गुज़दार, [1955] 27 आईटीआर 1 (एससी), डुलीचंद लक्ष्मीनारायण, [2022] 17 एससीआर।

[1956] 29 आईटीआर 535 (एससी) और मालाबार फिशरीज कंपनी, [1979] 120 आईटीआर 49 (एससी)। यह एक कंपनी से अलग है, एक न्यायिक व्यक्ति जो अपने शेयरधारकों से अलग है; जबकि एक साझेदारी फर्म

इसमें भागीदार शामिल होते हैं और भागीदारों के बिना कोई अलग इकाई या अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार, एक "फर्म" का अर्थ है किसी अन्य के साथ साझेदारी में प्रवेश करने वाले व्यक्ति जिन्हें सामूहिक रूप से एक फर्म कहा जाता है, जो साझेदारी में भागीदारों का वर्णन करने का एक समग्र तरीका है। साझेदारी फर्म और उसकी परिसंपत्तियों और संपत्तियों में भागीदारों का पूर्ण हित होता है। भागीदार और साझेदारी फर्म अलग और अलग संस्थाएं नहीं हैं और एक दूसरे के साथ पहचाने जाते हैं।

जबकि एक कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है, जो अपने शेयरधारकों के अलावा एक अलग और अलग इकाई है। शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी के कारण कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। शेयरधारकों का हित कंपनी के लाभ और लाभ तक सीमित है।

लाभांश या देयता प्राप्त करने के लिए ब्याज से परे अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में विस्तार करें। एक शेयरधारक कंपनी की संपत्ति में किसी भी हित का दावा नहीं कर सकता है। यह श्रीमती बाचा एफ. गुज़दार, [1955] 27 आईटीआर 1 (एससी) में आयोजित किया गया था।

10. वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, [1981] 132 आईटीआर 559 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी और एक फर्म के बीच अंतर किया था, जिसे भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 में दी गई परिभाषा के आलोक में समझा जाना चाहिए। वहाँ कोई नहीं है कानूनी प्रस्ताव के बारे में संदेह। लेकिन प्रत्येक मामले पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके गुण-दोष के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। जहाँ तक वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, [1981] 132 आई. टी. आर. 559 (एस. सी.) में निर्णय का संबंध है, यह कंपनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 में परिभाषित "आरक्षित" अभिव्यक्ति से संबंधित था। उसमें निहित प्रावधान उन प्रावधानों से अलग और अलग थे जिनसे हम संबंधित हैं। उक्त 1964 के अधिनियम के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय कंपनी अधिनियम के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति पर विचार कर रहा था कि 1964 के अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई अभिव्यक्ति को समझा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उपयोग की गई अभिव्यक्ति के संदर्भ में। इसलिए, यह निर्णय हमें वित्त अधिनियम, 1994 में "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा में उपयोग की जाने वाली "फर्म" अभिव्यक्ति की व्याख्या करने में मदद नहीं करेगा।

आई. आई. एस. एस. आई. एन. आर. सी. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. एस. आई. मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

11. कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या अभिव्यक्ति " धारा 65 (13) में प्रयुक्त फर्म को अलग तरह से समझा जाना चाहिए।

धारा 65: परिभाषाएँः योजना और संदर्भः

12. स्थिति का पता लगाने के लिए व्याख्या के सिद्धांतों का पालन करना होगा। परिभाषा को व्यापक रूप से समझने के लिए अदालत सुनहरे को लागू कर सकती है

परिभाषाओं की योजना को ध्यान में रखते हुए सामान्य व्याकरणिक अर्थ के अनुसार व्याख्या का नियम और

कानून में निहित प्रावधानों का संदर्भ और वह उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। यह स्पष्ट है कि "सलाहकार अभियंता" को परिभाषित करने वाली धारा 65 (13) को छोड़कर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अन्य सभी कर निर्धारकों को परिभाषित करने के लिए "व्यक्ति", "चिंता" या "वाणिज्यिक चिंता" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (42) में परिभाषित "व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक कंपनी या कंपनी शामिल है।

एक कंपनी को शामिल करने के लिए जब परिभाषा अभिव्यक्ति का उपयोग करती है " व्यक्ति "। इसी तरह, बिना किसी योग्यता के एक "संस्था" में कोई भी व्यवसाय या पेशेवर प्रतिष्ठान शामिल हो सकता है और

" वाणिज्यिक चिंता में संबंधित सभी चिंताएं शामिल होंगी।

व्यापार या पेशा या किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने वाले वाणिज्य के साथ और इसमें एक कंपनी शामिल है।

13. वर्तमान मामले में, धारा 65 (13) में एक इंजीनियर के रूप में पेशेवर रूप से योग्य व्यक्ति शामिल है। ऐसा नहीं लगता कि

विवादित होते हैं। परिभाषा में एक इंजीनियरिंग फर्म भी शामिल है। डॉ. पाल के अनुसार, हालांकि शब्द द्वारा योग्य

" इंजीनियरिंग ", एक" फर्म "को कंपनी से कुछ अलग समझना होता है। उनके अनुसार, इसका स्पष्ट अर्थ है

साझेदारी फर्म। यह प्रोपराइटरशिप फर्म हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह योग्य इंजीनियरों का एक संघ होगा, जो एक व्यक्ति के रूप में या साझेदारी फर्म में एक भागीदार के रूप में या व्यक्तियों के संघ में एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान खोए बिना एक योग्य इंजीनियर होने की अपनी इकाई या पहचान खोए

बिना अपनी पहचान खोए बिना खुद को फर्म से अलग इकाई में परिणत किए बिना खुद को वर्णित करने के एक समग्र तरीके के अलावा, जैसा कि यह अपने शेयरधारकों के संबंध में एक कंपनी के मामले में होगा।

14. इसलिए, यदि परिभाषा में उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, जिन पर राजकोषीय क़ानून की व्याख्या की गई है, तो एक कंपनी को कर लगाने के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

और जब कुछ संदेह होगा, तो लाभ निर्धारिती, करदाता को उपलब्ध होगा। मान लीजिए, अदालत ने जबकि

प्रावधान की व्याख्या करने से कमी ठीक नहीं हो सकती; इसलिए, इसे वैसे ही समझना चाहिए जैसे वह है।

15. लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि परिभाषा में एक भ्रांति छिपी हुई है

धारा 65 (13) के तहत। "फर्म" अभिव्यक्ति का उपयोग इसकी योग्यता के आधार पर नहीं किया गया है। इंजीनियर निश्चित रूप से हैं

व्यक्ति या व्यक्ति, लेकिन सामान्य व्यक्ति या व्यक्ति नहीं हैं। वे योग्य इंजीनियर हैं। इसलिए, एक व्यक्ति

योग्य इंजीनियर एक व्यक्ति हो सकता है और इसका अर्थ है एक व्यक्ति के रूप में

और एक व्यक्ति को शामिल करें, जो एक योग्य इंजीनियर है। लेकिन अभिव्यक्ति "व्यक्ति" में एक योग्य इंजीनियर शामिल हो सकता है लेकिन उक्त अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग की पहचान करने के लिए अपर्याप्त है जो योग्य इंजीनियर हैं। इसलिए, "व्यक्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग "सलाहकार अभियंता" को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जब वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ है या

अन्यथा। 16. ऐसा प्रतीत होता है कि "व्यक्ति", "चिंता" या "वाणिज्यिक चिंता" अभिव्यक्तियों का उपयोग सेवा कर के अधीन निर्धारिती के विशेष वर्ग के लिए उपयुक्त अपने सामान्य और सामान्य अर्थ में स्वतंत्र रूप से किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई विशेष या निर्दिष्ट अर्थ नहीं है। इन अभिव्यक्तियों का उपयोग निर्धारिती के एक वर्ग की पहचान करने के लिए किया गया है। यह विशेष वर्ग के भीतर कोई अंतर नहीं करता है। इस परिभाषा का उद्देश्य सेवा कर के अधीन निर्धारिती के वर्ग को शामिल करना है। किसी भी परिभाषा में, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वर्ग के भीतर किसी भी वर्ग की पहचान करने का इरादा कभी नहीं था। न ही ऐसा प्रतीत होता है कि ए

वर्ग के भीतर वर्ग को उत्तरदायी बनाया गया था या सेवा कर का भुगतान करने के दायित्व से बाहर रखने का इरादा था जिस संदर्भ में ये परिभाषाएँ दी गई थीं, उनका उद्देश्य सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी निर्धारिती के एक विशेष वर्ग की पहचान करना था।

17. इसलिए, जब किसी भी परिभाषा में वर्ग के भीतर एक वर्ग की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था

दायित्व से उत्तरदायी या मुक्त, वर्ग के भीतर उस विशेष वर्ग को सेवा कर के अधीन होने से, यह केंद्रीय अपवाद का सहायक नहीं हो सकता है, रायपुर v.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

यह कल्पना की गई कि विधानमंडल ने "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा में इस तरह का अंतर करने का प्रयास किया था।

सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी विशेष वर्ग की पहचान करें। विशेष वर्ग के भीतर आने वाले सभी पर कर लगाने का कोई सांसारिक कारण नहीं हो सकता है, सिवाय उस वर्ग के भीतर के एक के। योजना और उस संदर्भ से कुछ भी प्रतीत नहीं होता है जिसमें वर्ग के भीतर एक वर्ग को छूट देने के लिए एक तर्कसंगत या बोधगम्य अंतर बनाने के लिए कानून बनाया गया था। 18. यह अकल्पनीय है कि एक व्यक्ति के रूप में या एक साझेदारी फर्म या एक स्वामित्व फर्म का गठन करने वाला एक सलाहकार इंजीनियर सेवा कर कानूनों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन वही व्यक्ति जो एक कंपनी बनाते हैं, एक अलग न्यायिक व्यक्ति, शेयरधारकों के अलावा एक अलग कानूनी इकाई, कर दायरे से बाहर होंगे। हम इस बात का कोई कारण नहीं पाते हैं कि कंपनी क्यों

धारा 65 (48) (छ) के तहत परिभाषित "कर योग्य सेवा" प्रदान करना कर योग्य सेवा नहीं होगी, जब ऐसा तब होगा जब

एक व्यक्तिगत योग्य इंजीनियर या इंजीनियरों की स्वामित्व या साझेदारी फर्म द्वारा प्रदान किया गया। यह थोड़ा बेतुका लगता है।

धारा 66 और 68: प्रभारिताः कर योग्य घटनाः

19. धारा 66 प्रभार अनुभाग है। उप-धारा (3) के तहत, सेवा कर उप-खंड (जी) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवा के मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। धारा 65 (48) में गणना की गई और निर्धारित तरीके से एकत्र की गई। धारा 68 में प्रावधान है कि प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति

किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा इस तरह से और ऐसी अवधि के भीतर धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करेगी।

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 68 की उप-धारा (2) के कारण, द्वारा अधिसूचित होने पर कोई अन्य कर योग्य सेवा

केंद्र सरकार भी उसी तरीके से सेवा कर के लिए उत्तरदायी हो सकती है जो निर्धारित किया जाए और अध्याय 5 के प्रावधानों के अधीन धारा 66 में निर्दिष्ट दर [2022] 17 एस. सी. आर. लागू हो सकती है।

ऐसे व्यक्ति को जैसे कि वह सेवा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो

ऐसी कर योग्य सेवा के संबंध में कर।

20. इसलिए, धारा 65 को अधिनियम के संदर्भ और योजना से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे सामंजस्य में पढ़ना होगा।

धारा 66 और 68 के साथ, अर्थात्, प्रभार अनुभाग और भुगतान करने का दायित्व। उप-नियम (1) में नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि कैलेंडर महीने के दौरान प्राप्त कर योग्य सेवा के मूल्य पर सेवा कर का भुगतान केंद्र सरकार को महीने के तुरंत बाद 25 वें दिन तक किया जाएगा। हालांकि, परंतुक में निर्धारिती के संबंध में एक अपवाद दिया गया है, जो एक व्यक्ति या स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी फर्म है, जिसे महीने के 25 वें दिन भुगतान करना होता है।

उस तिमाही के तुरंत बाद जिसमें सेवा कर

कर योग्य सेवा का मूल्य प्राप्त होता है। 21. मान लीजिए, अधिनियम में "फर्म" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 65 (13) के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए हमें "फर्म" शब्द का सामान्य व्याकरणिक अर्थ देना है। "दृढ़" शब्द के अर्थ का पता लगाने के उद्देश्य से

विधायिका द्वारा दिए जाने पर, हम पहले इस शब्द पर गौर कर सकते हैं यदि इसका उपयोग कानून में कहीं और योजना से स्पष्ट कर लगाने की घटना के अनुरूप किया गया है और उससे अर्थ एकत्र कर सकते हैं। नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कं.

लिमिटेड वी. के. श्रीपथिराव, [1958-59] 14 FJR 199; AIR 1958 SC 658, शीर्ष अदालत ने घोषणा की कि एक अधिनियम में एक परिभाषा खंड को संदर्भ या विषय से अपना अर्थ प्राप्त करना चाहिए। हम पाते हैं कि "फर्म" शब्द का उपयोग धारा 81 में किया गया है जहाँ इसे जुर्माना लगाने के संबंध में समझाया गया था। इसका उपयोग नियम 6 में भुगतान के तरीके के संबंध में अंतर करने के लिए किया गया है। कानून और नियमों में "फर्म" शब्द का यह उपयोग इंगित करता है कि इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। यह है जिम्मेदारी

अदालत द्वारा शब्द की व्याख्या योजना और उद्देश्य और उसके उद्देश्य के साथ-साथ क़ानून में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों के अनुरूप तरीके से करने के लिए, जब तक कि

विधायिका एक अलग अर्थ लगाने के लिए स्पष्ट है। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण देयता तय करते समय, एक कंपनी को एक साझेदारी फर्म को शामिल करने के लिए समझाया गया है। अधिनियम की योजना के अनुसार, कर योग्य सेवा प्रदाता पर कर लगाया जाता है।

कर योग्य केंद्रीय सहायक का प्रावधान, रायपुर v. मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

सेवा कर योग्य घटना है। धारा 68 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति

कर योग्य सेवा प्रदान करना कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि विधानमंडल का कभी भी इस उद्देश्य के लिए किसी फर्म और कंपनी के बीच कोई अंतर करने का इरादा नहीं था -

"सलाहकार इंजीनियर" को परिभाषित करना। यदि दंड के उद्देश्य से ऐसा हो सकता है, तो प्रभार्यता के संबंध में भी ऐसा ही होगा।

22. कोई भी अन्य व्याख्या बेतुकी होगी, एक ऐसी कमी जिसे अदालत द्वारा व्याख्या करते समय ठीक किया जाना चाहिए। यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, और एक बेतुकेपन की ओर ले जाता है, तो दूसरे संभावित दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए। निर्धारिती के पक्ष में लाभकारी व्याख्या का सिद्धांत बेतुकेपन के बावजूद लागू नहीं हो सकता है। "इंजीनियरिंग" शब्द द्वारा योग्य "फर्म" शब्द का उपयोग कर योग्य प्रदान करने वाले इंजीनियरों के समूह को दर्शाने के लिए किया गया था। अपने सामान्य, सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में सेवा। "इंजीनियरिंग फर्म" शब्द धारा 65 (48) (जी) के तहत परिभाषित कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले इंजीनियरों की स्थापना को दर्शाते हैं। विधानमंडल ने कभी भी "फर्म" शब्द का उपयोग नहीं किया था और न ही इसका उपयोग करने का इरादा था।

अपने कानूनी या तकनीकी अर्थों में।

23. ऐसा माना जाता है कि आम जनता से संबंधित मामलों से संबंधित कानून में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग उनके कानूनों में किया गया है।

संकीर्ण, कानूनी या तकनीकी भावना के बजाय लोकप्रिय। लोकितुर उट वल्गस का सिद्धांत, अर्थात, सामान्य समझ और शर्तों की स्वीकृति के अनुसार, सामान्य रूप से जनता से संबंधित मामलों से संबंधित क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ में लागू किया जाना है। यदि किसी अधिनियम को उन मामलों से निपटने के लिए निर्देशित किया जाता है जो आम तौर पर सभी को प्रभावित करते हैं, तो उपयोग किए गए शब्द

भाषा के सामान्य और सामान्य उपयोग में उनके साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। यह लॉर्ड एशर एम. आर. द्वारा अनविन v में पृष्ठ 119 पर मनाया गया था। हैनसन, [1891] 2 क्यूबी 115 (सीए)। यह कि आय-कर अधिनियम और उस मामले में वित्त अधिनियम सामान्य रूप से लागू होता है, विवाद से परे है। यह और भी अधिक इसलिए है क्योंकि वित्त अधिनियम समेकित करने वाला और संशोधित करने वाला है

आय-कर, अतिरिक्त कर, सेवा कर आदि से संबंधित कानून। इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए, हम राव बहादुर रावुलु सुब्बा राव बनाम से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। सी. आई. टी., [1956] 30 आई. टी. आर. 163 (एस. सी.) पृष्ठ 169 पर। इसलिए, प्राकृतिक नहीं कानूनी या तकनीकी

"दृढ़" शब्द का अर्थ दिया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 65 (13): फर्मः प्राकृतिक अर्थः 24. प्रावधानों को उस संदर्भ में पढ़ने के बाद जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और जिस योजना में इसका उपयोग करने का इरादा है और क़ानून को लागू करने का उद्देश्य और उद्देश्य और किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति।

समझदार अंतर या एक तर्कसंगत वर्गीकरण, इसकी व्याख्या सभी प्रकार की फर्मों, यानी एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए। यह फिर से हमें ध्यान देना चाहिए कि विधानमंडल ने "इंजीनियरिंग फर्म" अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। फर्म को "इंजीनियरिंग" शब्द द्वारा योग्य बनाया गया है। इसलिए, निर्धारिती के इस विशेष वर्ग में इंजीनियरिंग से संबंधित सभी प्रकार की फर्मों को शामिल करने के लिए "फर्म" शब्द का उपयोग किया गया है। "फर्म" शब्द का उपयोग फर्म के गठन, अर्थात् स्वामित्व या साझेदारी को इंगित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि इसके भीतर कर योग्य सेवा प्रदान करने वाली फर्म के एक वर्ग की पहचान करने के लिए किया गया था।

धारा 65 (48) (छ) का अर्थ।

25. इन परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा में कोई कमी है, जिसके बारे में यह माना जा सकता है कि कर योग्य प्रदान करने वाली कंपनी को इसमें शामिल नहीं किया गया है

धारा 65 (48) (छ) के तहत परिभाषित सेवा जब इसके समकक्ष

इसमें एक व्यक्ति या एक स्वामित्व या साझेदारी फर्म या व्यक्ति का एक संघ शामिल है। अधिनियम की योजना से हम किसी कंपनी को बाहर करने के लिए किसी भी बोधगम्य अंतर या तर्कसंगत वर्गीकरण का पता नहीं लगा पाए हैं धारा 65 (48) (छ) के तहत कर योग्य सेवा प्रदान करना जब इसके समकक्ष व्यक्ति या स्वामित्व या साझेदारी या व्यक्तियों का संघ समान सेवा प्रदान करने वाले कराधान के दायरे में आ रहे हों। 1994 के अधिनियम की योजना से इसका समर्थन किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सेवा पर कर लगाना है। यह कर योग्य सेवा है, जो प्रदाता को उत्तरदायी बनाती है। इस प्रकार, कर योग्य घटना सेवा प्रदान करना है और शुल्क प्रदाता पर पड़ता है। यह अकल्पनीय होगा कि विधानमंडल का इरादा था कि शुल्क एक प्रदाता पर तब पड़ेगा जब कोई व्यक्ति या स्वामित्व या साझेदारी फर्म हो, लेकिन तब नहीं जब

एक कंपनी। ऐसा लगता है कि यह भेद समझ में नहीं आता और इसमें कोई अंतर नहीं है।

कोई भी तर्क, इस प्रकार बेतुका। धारा 68 के तहत दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का है। इस प्रस्ताव के समर्थन में, हम लाभप्रद रूप से मोतीपुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड बनाम में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 320, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय अपवाद का सहायक, रायपुर बनाम.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

एक कंपनी और एक व्यक्ति के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं था और कानून में कुछ भी नहीं था उस मामले में अदालत द्वारा व्याख्या की गई, जो कंपनी को शामिल करने से रोकेगी। अदालत उस मामले में थी

बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2 (0) द्वारा परिभाषित "स्वामी" शब्द की व्याख्या करना। इसने माना कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए, ऐसा करने का कोई कारण नहीं था

एक व्यक्तिगत स्वामी और एक कंपनी के बीच अंतर करें,

यह ज्ञात नहीं है कि विधानमंडल धारा 65 (48) (छ) के अंतर्गत आने वाली कर योग्य सेवा के एक विशेष वर्ग को प्रदान करने वाली कंपनी को क्यों बाहर करने का इरादा रखता है। यद्यपि डॉ. पाल द्वारा वाक्पटुता से तर्क दिया गया है, लेकिन अंतर के बीच का तर्क वर्ग के भीतर एक वर्ग को छूट देने के लिए पूरे वर्ग पर दायित्व अधिरोपित करना समझ में नहीं आता है और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 66 और 68 के साथ पठित अन्य सभी वर्गों को दी गई परिभाषा के अनुरूप होने के अलावा उक्त परिभाषा की व्याख्या करने के लिए तर्कसंगत वर्गीकरण का मामला बिल्कुल भी नहीं बनाता है। जब क़ानून एक क़ानून नहीं है जिसका उद्देश्य किसी कंपनी के हित की रक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवहार प्रदान करना है, तो ऐसी व्याख्या संभव नहीं है। इसलिए, हालांकि अलग-अलग कारणों से, हम विद्वानों के निर्णय से सहमत हैं।

एकल न्यायाधीश ने तब से इसके खिलाफ अपील की।

" विज्ञापन के तहत किसी सेवा के प्रदाता, जो एक व्यक्ति है, साझेदारी संस्था या निगमित कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं है। सेवा पर कर का भुगतान करने का दायित्व बशर्ते कि सेवा एक प्रकार की हो जिसे धारा 65 (48) के तहत कर योग्य घोषित किया गया हो, बशर्ते कि यह तीनों पर समान रूप से पड़े।

विज्ञापन से। इस प्रकार, सलाहकार इंजीनियरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मामले में अधिनियम द्वारा जो कर लगाया जाता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से और किसी भी विषय से संबंधित सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा है।

अप्रासंगिक। यह सच है कि परिभाषा में समावेश अभिव्यक्ति 'सलाहकार इंजीनियर' एक कंपनी को पूरे विवाद को शांत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन यह बहुत सनक है कि किसी भी इंजीनियरिंग विषय में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली कंपनी को विशेष रूप से परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है

'परामर्शी इंजीनियर' अभिव्यक्ति का, वास्तव में, यह अर्थ नहीं होगा कि ऐसी किसी भी कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

कर योग्य माना जाता है। यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी क़ानून की भाषा अपने सामान्य अर्थ में एक स्पष्ट विसंगति या विरोधाभास की ओर ले जाती है, तो अदालत को उस पर एक ऐसी संरचना रखने का अधिकार है जो उसमें उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को संशोधित करती है। 28. डॉ. वी. षण्मुघवेल, [2001] 131 ईएलटी 14 (मैड) में निर्णय से हमें बहुत मदद नहीं मिल सकती है क्योंकि उस मामले में यह भेद करने की कोशिश की गई थी कि क्या किसी मूल्यांकनकर्ता या इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं "परामर्श इंजीनियर" की परिभाषा के भीतर आएंगी या नहीं। यद्यपि डॉ. पाल द्वारा कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हमें इसका कोई कारण नहीं मिलता है।

उसी पर चर्चा करें, क्योंकि, हमारे विचार में, आगे कोई भी चर्चा अनावश्यक होगी।

निष्कर्षः

29. इस प्रकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई, 1997 को जारी परिपत्र और 3 जुलाई, 1997 को जारी उक्त परिपत्र को कानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता है या

योजना और सेवा कर कानून के संदर्भ के साथ असंगत या धारा 65 (13) के तहत "परामर्श अभियंता" को परिभाषित करने वाले स्पष्ट विधायी प्रावधानों के प्रतिकूल। ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त परिपत्र शक्ति सौंपने वाले कानून द्वारा सीमित मापदंडों से अधिक जारी किया गया था। यह मापदंडों के भीतर है और इसलिए, कभी भी मूल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर या शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए, जी. एस. डाली और आटा मिल्स, केंद्रीय अपवाद आयोग, रायपुर बनाम में निर्धारित अनुपात।

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प। [एम. आर. शाह, जे.]

[1991] 187 आईटीआर 478 (एससी) आकर्षित नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह कानून के दायरे में है, इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई कर लगाया जा रहा है कंपनी पर उक्त दो परिपत्रों के कारण, हालांकि मूल अधिनियम द्वारा अधिकृत किए बिना अधीनस्थ कानून के माध्यम से उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि गोपाल नारायण, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. में माना गया था।

370 .

30. उपरोक्त चर्चा से, हमारा विचार है कि "सलाहकार अभियंता" की परिभाषा में प्रयुक्त "फर्म" शब्द की व्याख्या संदर्भ में की गई है और धारा 65 की योजना की व्याख्या धारा 66 और धारा 68 के अनुरूप की गई है और कानून में कहीं और "फर्म" शब्द को दिए गए अर्थ में एक कंपनी शामिल है जैसा कि धारा 81 में समझाया गया है क्योंकि एक बोधगम्य अंतर या तर्कसंगत वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है।
किसी कंपनी को कर से बाहर करने के लिए धारा 65 (48) (जी) के तहत परिभाषित कर योग्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनी और फर्म के बीच

जब एक ही कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले दोनों कानून में कर योग्य घटना हैं, जो प्रदान करने के लिए नहीं है

किसी कंपनी के लिए विशेष प्रावधान या लाभ।

10.4 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ उच्च न्यायालयों के सभी निर्णय प्रतिवादी की ओर से निर्भर हैं -

" सलाहकार इंजीनियर "वित्त अधिनियम, 1994 में निहित है, जो टी. सी. एस. (ऊपर) और एम. एन. दस्तूर (ऊपर) के मामलों में सीधे कर्नाटक और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया था। 11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वित्त अधिनियम, 1994 के तहत कई स्थानों पर संसद/विधानमंडल ने "व्यक्ति" शब्द का उपयोग किया है।

(धारा 68,69 और 70)। इस स्तर पर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (42) को भी संदर्भित करने, विचार करने और लागू करने की आवश्यकता है।

आवेदन किया। "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। इसलिए, "परामर्श इंजीनियर" की परिभाषा से "निकाय कॉर्पोरेट" को बाहर करने और "परामर्श इंजीनियर" की सेवाओं को बाहर करने का कोई तर्क और/या कारण नहीं है। सेवा कर के दायरे से बाहर करने और/या छूट देने के लिए एक "निकाय निगमित" द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियर। इस तरह की व्याख्या विसंगति और बेतुकेपन का कारण बनेगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह एक ही सेवा प्रदान करने वाले दो अलग-अलग वर्गों का निर्माण करेगा जो संसद/विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता है। इसलिए, हम पूरी तरह से सहमत हैं [2022] 17 एस. सी. आर.

12. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि वित्त अधिनियम, 1994 के तहत, "परामर्श अभियंता" की परिभाषा में, एक "निकाय निगमित" को शामिल किया गया है और/या पढ़ा जाना चाहिए ताकि एक "निकाय निगमित" को सेवा कर के दायरे में परामर्श अभियंता सेवाएं प्रदान करने वाले एक सेवा प्रदाता के रूप में लाया जा सके, इस प्रकार, यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या 2005 के संशोधन के माध्यम से "परामर्श अभियंता" की परिभाषा में संशोधन करके "परामर्श अभियंता" की परिभाषा में "परामर्श अभियंता" की परिभाषा के भीतर एक "निकाय निगमित" को जोड़ना पूर्वव्यापी होगा और/या क्या इसे प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक कहा जा सकता है या नहीं और उक्त मुद्दा अब अकादमिक हो जाएगा। 13. हमारी चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, 04.12.2015 दिनांकित विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पारित किया गया

सी. ई. एस. टी. ए. टी अस्थिर है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी, परामर्श अभियांत्रिकी सेवाएं प्रदान करने वाला एक सेवा प्रदाता होने के नाते, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) की परिभाषा के भीतर "परामर्श अभियंता" होने के नाते ऐसी सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था/है और इसलिए और इस प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 आर/डब्ल्यू धारा 68 के तहत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश

04.12.2015 सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा अपील सं. एसटी/136/2007 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। हालाँकि, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने विचार किया है

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (31) के तहत "सलाहकार अभियंता" और सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील के ज्ञापन में उठाए गए किसी अन्य मुद्दे/आधार पर विचार नहीं किया था। इसलिए, मामले को सी. ई. एस. टी. ए. टी. को भेजा जाता है ताकि अन्य आधारों, यदि कोई हो, पर अपील की जांच की जा सके और उस पर निर्णय लिया जा सके।

कानून के अनुसार और अपने गुण-दोषों के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों और वर्तमान निर्णय और आदेश में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में उसके समक्ष अपील ज्ञापन में नए सिरे से उठाया गया। उपरोक्त अभ्यास सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, केंद्रीय आयुक्त, रायपुर V.

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कॉन्स्ट। कॉर्प।

[एम. आर. शाह, जे.]

जिसे राजस्व द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14. तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त को दी जाती है।

हद तक। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल और अमरेंद्र कुमार (प्रज्ञा सामल, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)